निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 01/अपील/18

उनवान अपील

शेख महमूद वल्द शेख फेज्जुल्ला खां जाति मुसलमान नि0 पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

01. रामनारायण पुत्र भैरू माता घीसी जोजे भैरू जाति माली नि0 पिड़ावा तहसील पिड़ावा
02. सरकार जर्ये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील बनाराजी नामान्तकरण आदेश तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 20.12.1970 बाबत नामान्तकरण संख्या 53, अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः– श्री फिरोज अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
बालचन्द परिहार अभिभाषक रेस्पो0 1
पेरोकार सरकार

–: **निर्णय** :– दिनांकः 24.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 20.12.1970 जिसके द्वारा ग्राम पिड़ावा की आराजी ख0न0 465 रकबा 07 बिस्वा का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा का आदेश जेर अपील खिलाफ कानून व पत्र संग्रह पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजी नगरपालिका क्षेत्र की है तथा अतिरिक्त तहसीलदार को इस भूमि को नियमित करने का अधिकार नही है। उक्त भूमि पर घीसीबाई का कब्जा नही था और यह भूमि रास्ते की भूमि है इस भूमि के लगी हुई अपीलान्ट की भूमि है तथा ख0न0 465 पर से होकर अपीलान्ट आता जाता है। कृषि भूमियों के आवंटन के 1970 के नियमों के तहत नियम 19 व 20 के अन्तर्गत नियमन के अधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को एडवाईजरी कमेटी की सलाह से किया जाना था तथा नियमन के अन्तर्गत भी एलाटमेन्ट नियम की पालना के बाद ही खातेदारी अधिकार देने के प्रावधान है । आदेश जैर अपील फ्राडुलेन्ट तरीके से मिसरिप्रजेन्ट करके दूषित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है जो गैर कानूनी और निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिड़ावा का आदेश दिनांक 20.12.1970 अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 की और से अभिभाषक श्री बालचन्द व रेस्पो0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दिनांक 20.12.1970 को ग्राम पिड़ावा की आराजी ख0न0 465 रकबा 7 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 53 गलत रूप से तस्दीक किया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा का आदेश जेर अपील खिलाफ कानून व पत्र संग्रह पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त आराजी नगरपालिका क्षेत्र की है तथा अतिरिक्त तहसीलदार को इस भूमि को नियमित करने का अधिकार नही है। उक्त भूमि पर घीसीबाई का कब्जा नही था और यह भूमि रास्ते की भूमि है इस भूमि के लगी हुई अपीलान्ट की भूमि है तथा ख0न0 465 पर से होकर अपीलान्ट आता जाता है। कृषि भूमियों के आवंटन के

जिला कलक्टर
झालावाड़

1970 के नियमों के तहत नियम 19 व 20 के अन्तर्गत नियमन के अधिकार सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को एडवाईजरी कमेटी की सलाह से किया जाना था तथा नियमन के अन्तर्गत भी एलाटमेन्ट नियम की पालना के बाद ही खातेदारी अधिकार देने के प्रावधान है । आदेश जैर अपील फाडुलेन्ट तरीके से मिसरिप्रजेन्ट करके दूषित प्रकिया के माध्यम से किया गया है जो गैर कानूनी और निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पिड़ावा का आदेश दिनांक 20.12.1970 अपास्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि रेस्पो0 की माता घीसी बाई को उक्त आराजी नियमानुसार नियमन होने से खाते दर्ज होने के कारण इन्तकाल तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है जो उचित है। लगभग 48 वर्ष बाद उक्त नामान्तरकरण को चेलेन्ज करना गलत है अपील खारिज की जावे। इस पर पेरोकार रसकार ने नामान्तरकरण संख्या 53 ग्राम पिड़ावा दिनांक 20.12.1970 को उचित बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि ग्राम पिड़ावा की आराजी ख0न0 465 रकबा 07 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 20.12.1970 तस्दीक किया गया वह सही किया गया है या नही? पत्रावली में संलग्न नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्समय दिनांक 20.12.1970 को जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया वह मिसल न0 2027/69 दिनांक 30.05.69 से घीसी बाई को उक्त आराजी का नियमन होने पर उक्त आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाकर किया जाना साबित है। वैसे भी इन्तकाल खोलने की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिससे केवल मात्र यह तय होता है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है–इन्तकाल से पक्षकारान के हक–हकूंको का निर्धारण नही हेाता है। अतः उक्त विवेचनानुसार इन्तकाल जेर अपील में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवांई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड